कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–बीजापुर (छ0ग0)

फोन नं. 07853220010 / 220264 ई–मेल nrhmbijapur@gmail.com

क्रमांक /2071/ /NHM/2016–17 बीजापुर दिनांक 25/06/2016

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला बीजापुर अंतर्गत प्रिंटिंग कार्य हेतु निविदा आमंत्रण

जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन , जिला बीजापुर अतंर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान जिला एवं विकासखंड कार्यालय हेतु आवश्यकतानुसार प्रिंटिंग कार्य एवं प्रचार प्रसार सामग्री की छपाई करायी जाती है । जिस हेतु संबंधित कार्यों में शामिल फर्मों से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से किसी भी कार्यालयीन दिवस पर प्रातः 11:00 बजे से संध्या 05:00 बजे तक रूपये 200/– रूपये(दो सौ रूपये मात्र) निविदा प्रपत्र मूल्य का डी.डी. (डिमाड ड्राफ्ट) जो कि नॉन रिफन्डेबल है जमा कर प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है। निविदा फार्म की प्राप्ति संबंधित कार्यालय से होगी एवं डी.डी. '' DHS Bijapur '' के नाम से ही स्वीकार किये जावेगें। निविदा की विस्तृत जानकारी बीजापुर जिले की बेबसाइट www.bijapur.gov.in पर उपलब्ध है।

निविदा प्रपत्र बिक्री की अंतिम तिथि	:–	15 जुलाई 2016 को दोपहर 12:00 बजे तक
निविदा पूर्व आपत्ति निराकरण बैठक	:–	11 जुलाई 2016 को दोपहर 01:00 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	:–	15 जुलाई 2016 को शाम 02:00 बजे तक
निविदा खोले जाने की तिथि	:–	15 जुलाई 2016 को शाम 04:00 बजे तक

कृ0 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला –बीजापुर(छ0ग0)

प्रिंटिंग एवं प्रचार प्रसार सामग्री सप्लाई एवं क्रय हेतु आवश्यक नियम एवं शर्ते :–

1. सहमति पत्र 100/– रू के स्टाम्प पेपर में एवं सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) नोटरी से सत्यापित कर प्रस्तुत किया जाना है।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य 200/– रूपये (दो सौ रूपये मात्र) का डी.डी (डिमाड ड्राफ्ट) नॉन रिफंडेबल, जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक का हो एवं "DHS Bijapur" के नाम से देय हो, अदा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकेंगे।
3. निविदाकर्ता को अमानत राशि रूपये 5,000/–(पांच हजार रू मात्र) का डी.डी. (डिमाड ड्राफ्ट) जो की राष्ट्रीयकृत बैंक का हो एवं "DHS Bijapur" के नाम से देय हो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. सफल निविदाकर्ता की अमानत राशि 5,000/–(पांच हजार रू मात्र)को जिला स्वास्थ्य समिति जिला बीजापुर के खातें में निविदा की वैधता तिथि तक जमा रखा जावेगा तथा उक्त राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। निविदा अवधि की समाप्ति पर अमानत राशि को निविदाकर्ता को चेक के माध्यम से वापस किया जावेगा। असफल निविदाकर्ताओं की अमानत राशि का डिमांड ड्रॉफ्ट मूलतः वापस किया जायेगा।
5. प्रिंटिंग सामग्री की छपाई या क्रय या सप्लाई आवश्यकतानुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान या निविदा अवधि की समाप्ति के पूर्व किया जा सकेगा। जिसके लिये कार्यालय से मौखिक या लिखित कार्यादेश के अनुसार सामग्री प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त कार्यादेश अनुसार सामग्रीं प्रदाय न करने की स्थिति में अन्य फर्म को आदेश जारी किया जावेगा एवं अंतर की राशि प्रथम निविदाकर्ता फर्म से वसूल की जावेगी।
6. प्रिंटिंग सामग्री की सप्लाई कार्यादेश जारी होने की तिथि से 01 सप्ताह के भीतर निर्धारित कार्यस्थल पर किया जाना अनिवार्य होगा।
7. प्रिंटिंग सामग्री की सप्लाई जिला एवं विकासखंड कार्यालय में करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकर्ता फर्म का होगा जिसके लिये अलग से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
8. देयक मासिक रूप 05 तारीख के पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। समस्त देयकों का भुगतान चेक या ई–ट्रांसफर के माध्यम से निर्धारित दर पर कर की कटौती उपरांत ही किया जावेगा। जिसकी समय सीमा बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने की तिथि से 21 दिन के भीतर होगी।
9. प्रिंटिंग सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर बिल का भुगतान में कटौती की जावेगी या भुगतान रोका जावेगा।
10. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निराकरण क्रय समिति के द्वारा किया जावेगा तथा उसकी सीमा क्षेत्र जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ होगा।
11. न्यूनतम निर्धारित दरों पर प्रथम निविदा प्रतिभागी द्वारा कार्यादेश पूर्ण न करने की स्थिति में द्वितीय निविदा प्रतिभागी से समस्त सेवा लिये जाने का अधिकार कार्यालय का होगा।
12. निविदाकर्ता व्यक्ति या फर्म के पास जीवित सेवा कर/सर्विस टैक्स पंजीयन एवं टिन नं0/वेट टैक्स पंजीयन होना अनिवार्य है । जिसकी प्रतिलिपि निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। संलग्न न करने की स्थिति में उक्त निविदा प्रक्रिया की कार्रवाई से निविदाकर्ता व्यक्ति या फर्म को हटाया जावेगा।
13. चाही गई सेवा एवं प्रदायित सेवा के अनुरूप संतुष्टि की दशा में सेवा अवधि अनुबंध अगामी कार्यकाल/वर्षों हेतु आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
14. सर्विस टैक्स एवं समस्त करों की राशि वित्तीय निविदा (Financial Bid) में शामिल कर ही मान्य किया जावेगा। इस बाबत् सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

15. चयन प्रक्रिया **L1** आधार पर की जावेगी।
16. अनुबंध नवीनीकरण की दशा में **EMD** राशि को आगामी वर्षों हेतु मान्य किया जावेगा।
17. परिशिष्ट अ, ब एवं स को सफेद मोहरबंद लिफाफे में समस्त दस्तावेजों के साथ जमा किया जावें। तथा लिफाफे के उपर स्पष्ट अक्षरों में <u>**प्रिंटिंग कार्य हेतु निविदा प्रपत्र**</u> लिखा होना अनिवार्य है।
18. कार्यालय से निविदा फार्म प्राप्त करने की तिथि दिनांक **24/06/2016 से दिनांक 15/07/2016 तक** तथा जमा करने की अंतिम तिथि **15/07/2016** समय **2:00** बजे तक एवं खोले जाने की तिथि **15/07/2016** समय दोपहर **04.00** बजे स्थान– कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , जिला बीजापुर ,छत्तीसगढ़।
19. निविदाकर्ता को पैन कार्ड एवं निविदा कर्ता/ फर्म का बैंक खाता पास बुक जिसमें राशि हस्तांतरण किया जाना है की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
20. निविदा खुलने की तिथि में समिति के आदेशानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला– बीजापुर (छ0ग0)